

(नियम 15)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

प्रेम बाई	बनाम	रा. उ. प्रा. वि. खरपीणा
-----------	------	-------------------------


किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 57/20

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/04/25	वकील <u>अपी. अ. 1</u> पीठासीन अधिकारी <u>अन्य राज कार्य मे</u> होने से प्रकरण वास्ते सुनवाई/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>4/06/25</u> को पुर्वादेशानुसार पेश हो। 010	
04/06/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्त व अपीलार्थी तथा विपक्षीगण - 2 से 4 अनुपास्थित। पैरोकार सरकार आस्थित। पत्रावली पर अलब्ध अभिलेख को अध्ययन किया गया। अपील पिता कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 20/11/2017 तहसील गिर्वा के ग्राम खरपीणा की विलानाम गैर काबिल कारत आतजी खरपीणा 858 व 860 कुल कित्त 2 0.9200 हैं। भूमि को राजकीय उर्थ प्रथमिक विद्यालय, खरपीणा के भवन निर्माण हेतु विधिक प्रवधानानुसार निःशुल्क आवंटन के अर्थ में <u>अपील अधिकार वास्ते</u> पैरोकार सरकार को बतलाया गया कि उपरोक्त आवंटन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अखिल अधिकारी, गिर्वा की बाढ़ मौका निरीक्षण प्राप्त अनुज्ञाप्ति दिनांक 11/10/2017 के अनुबन्ध में किया जाना स्पष्ट है, जिसमें भूमिका मौक पर पड़त होकर विवादरहित होना तथा किसी न्यायालय में लाञ्छित अथवा स्वयं अधीन नहीं होना दर्शा है। अतः अपील निरस्तगीय है।	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------

अपरोक्त पृष्ठभूमि में यह भी उल्लेखनीय है कि
 अपीलार्थी दिनांक 01/11/2023 से अनुपस्थित चल
 रहे हैं। अतः प्रकल्प अपीलान्त दाता पेंसरी के
 अभाव में गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है।
 जिला कलक्टर, अहमपुर के अपीलाधीन आदेश
 दिनांक 20/11/2017 में वैधानिक रूप से
 राजकीय शिक्षण संस्था का आवंटित भूमि की
 प्रक्रिया में एप कोई बृटि नहीं पाते हैं। अतएव
 अपील पौषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

मिठीय आदि दिनांक 04/06/2025 का
 श्री इमलक्षी तुनाया गुवा। पत्रावली फेलर गुमार
 होकर दाखिल दफतर हो।


 04/06/2025.